

>

Title: Introduction of Prohibition of Extravagant Expenditure on Marriages Bill, 2011.

**श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहान (साबरकांठा):** महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विवाह समारहों पर अत्यधिक और अनावश्यक व्यय के प्रतिषेध और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to prohibit extravagant and wasteful expenditure on marriages and for matters connected therewith or incidental thereto."

*The motion was adopted.*

**श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहान :** महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

---

-